न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी— कमर चौधरी
आई0ए0एस0

अपील सं0 04/2022 रसद
मैसर्स श्रीमती पवन कंवर उचित मूल्य दुकानदार, ग्राम पंचायत जीरोता खुर्द तहसील दौसा जिला दौसा

..अपीलांट

बनाम

जिला रसद अधिकारी दौसा जिला दौसा

..रेस्पोडेन्ट

अपील अंतर्गत धारा 22 राजस्थान खाधान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ का विनियम आदेश 1976 एवं जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा पारित निर्णय अभियोग संख्या 91/2016 दिनांक 24.06.2016

उपस्थित—1. श्री जितेन्द्र सैनी, अधिवक्ता अपीलांट पक्ष
2. श्री प्रहलाद मीना, प्रवर्तन अधिकारी, विभागीय पैरोकार सरकार

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय

दिनांक: 07.09.2022

अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा अपीलांट का प्राधिकार पत्र दिनांक 24.06.2016 को निरस्त कर दिया। जिला रसद अधिकारी दौसा के इसी प्राधिकार पत्र निरस्ती आदेश से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट की तलबी की गई। जिला रसद अधिकारी दौसा से मूल अभिलेख मंगवाया गया।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलांट ग्राम पंचायत जीरोता खुर्द तहसील दौसा जिला दौसा की अधिकृत उचित मूल्य दुकानदार है जिसका प्राधिकार पत्र संख्या 38/2005 है, एवं अपीलांट बिना किसी शिकायत के इमानदारी से वर्ष 2005 से ही ग्राम पंचायत जीरोता खुर्द तहसील दौसा के उपभोक्ताओं को निष्ठापूर्वक रसद सामग्री का वितरण करती आ रही है। अपीलांट के विरूद्ध आरोप लगाया गया है कि दिनांक 17.03.2015 को जांच की जाकर जांच रिपोर्ट दिनांक 18.3.2015 को पेश की गई। प्रकरण संख्या 91/2016 दर्ज कर अग्रिम आदेशों तक के लिए डीलर का प्राधिकार पत्र निलंबित कर दिया गया। दर्ज आरोपों के आधार पर दिनांक 18.3.2016 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया जिसमें निम्न आरोप लगाये गये:—

1. मौके पर दुकान बंद पाई गई। दुकान बंद होने का कोई कारण सूचना पट्ट पर प्रदर्शित नहीं होना पाया गया।
2. मौके पर स्टॉक व मूल्य सूची का प्रदर्शन नहीं होना पाया गया।
3. मौके पर उपस्थित राशन उपभोक्ताओं ने बताया कि डीलर द्वारा नियमित रूप से दुकान नहीं खोलना व राशन सामग्री का वितरण नहीं करना अवगत कराया
4. मौके पर उपभोक्ताओं द्वारा प्रस्तुत लगभग 15 राशन कार्डों में माह दिसबर 2015 से माह फरवरी 2016 तक राशन सामग्री का इन्द्राज नहीं होना पाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.02.15 12:52:48 IST
Reason: SelfAttested

......निरंतर 2 पर

5. मौके पर उपस्थित उपभोक्ताओं ने बताया कि राशन डीलर श्रीमती पवन कंवर की शादी हो जाने के कारण ससुराल में रहती है और उसकी जगह उसका भाई जितेन्द्र राशन सामग्री का वितरण करता है जो ना तो नियमित रूप से दुकान खोलता है और ना ही राशन सामग्री का वितरण करता है।

अपीलांट को बिना नोटिस प्राप्त हुए ही प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विरूद्ध दिनांक 21.6.2016 को अपीलांट का प्राधिकार पत्र निरस्त कर दिया। जिला रसद अधिकारी दौसा का अपीलाधीन आदेश विधि विरूद्ध है। अपीलांट के विरूद्ध किसी भी उपभोक्ता को कोई शिकायत प्राधिकार पत्र जारी किये जाने से आज दिनांक तक नहीं है। अपीलांट इमानदारी से उपभोक्ताओं को वस्तुओं का वितरण करती रही है एवं सभी उपभोक्ता संतुष्ट है। अपीलांट प्रसव पीडा में होने के कारण 6 माह की अवधि में वितरण कार्य करने में असमर्थता व्यक्त करने का प्रार्थना पत्र जिला रसद अधिकारी दौसा को दिया था उसकी आड में अपीलांट के खिलाफ असत्य, बनावटी आधारों पर कार्यवाही करके प्राधिकार पत्र निरस्त कर दिया गया है, जो महिलाओं के हित में बनाये गये विधिक प्रावधान एवं सरकार की महिला सशक्तिकरण की नीति के विरूद्ध है। अपीलांट के खिलाफ छोटे मोटे तकनीकी आधार–आक्षेप बनाकर प्राधिकार पत्र निरस्त किया है, जिससे उपभोक्ताओं को परेशानी उठानी पड रही है तथा अपीलांट को वितरण से वंचित रख कर परेशान किया जा रहा है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राजस्थान सरकार द्वारा दिनांक 25.3.1994 को परिपत्र जारी किया गया है जिसमें राजस्थान के समस्त जिला रसद अधिकारियो को निर्देशित कया गया है कि छोटे मोटे तकनीकी आधारों पर डीलरों को तंग व परेशान नहीं किया जावे। इसके बावजूद जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा बिना किसी उचित आधार के अपीलांट के प्राधिकार पत्र को अत्यन्त कठोर दण्ड देते हुए निरस्त किया गया है। अपीलांट का एकमात्र रोजगार उचित मूल्य की दुकान है जिस पर पूरे परिवार का भरण पोषण का दायित्व अपीलांट पर है। अपीलांट के उपर कोई गंभीर आरोप नहीं है ना ही अपीलांट द्वारा किसी प्रकार की उचित मूल्य सामग्री की कालाबाजारी की गई है, इसके बावजूद भी जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा अपीलांट के प्राधिकार पत्र को बिना किसी उचित आधार के निरस्त कर दिया। अपीलांट के विरूद्ध बिना जवाब दिये व बिना सुनवाई किये एकतरफा कार्यवाही करते हुए प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर जिला रसद अधिकारी दौसा का अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.06.2016 को निरस्त फरमाया जाकर अपीलांट का प्राधिकार पत्र बहाल कर रसद सामग्री वितरण के आदेश प्रदान करावे।

विभागीय पैरोकार [illegible] कि जिला रसद अधिकारी दौसा के निर्देशानुसार दिनांक 13.3.2016 को मान[illegible] विधायक महोदय, दौसा द्वारा की गई जन सुनवाई में ग्राम पंचायत [illegible] डीलर श्रीमती पवन कंवर के विरूद्ध राशन सामग्री के वितरण [illegible] शिकायत की जांच प्रवर्तन निरीक्षक ने जांच दल के साथ उचित मूल्य दुकान का [illegible]क 18.3.2016 को निरीक्षण किया गया जिसमें निम्न अनियमितताएं/कमियां पाई गई:–

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.02.15 12:52:48 IST
Reason: SelfAttested

1. मौके पर दुकान बंद पाई गई। दुकान बंद होने का कोई कारण सूचना पट्ट पर प्रदर्शित नहीं होना पाया गया।

.....निरंतर 3 पर

2. मौके पर स्टॉक व मूल्य सूची का प्रदर्शन नहीं होना पाया गया।
3. मौके पर उपस्थित राशन उपभोक्ताओं ने राशन डीलर द्वारा नियमित रूप से दुकान नहीं खोलना व राशन सामग्री का वितरण नहीं करना अवगत कराया गया।
4. मौके पर उपभोक्ताओं द्वारा प्रस्तुत लगभग 15 राशन कार्डों में माह दिसंबर 2015 से माह फरवरी 2016 तक राशन सामग्री का इन्द्राज नहीं होना पाया गया।
5. मौके पर उपस्थित उपभोक्ताओं ने बताया कि राशन डीलर श्रीमती पवन कंवर की शादी हो जाने के कारण ससुराल में रहती है और उसकी जगह उसका भाई जितेन्द्र राशन सामग्री का वितरण करता है जो ना तो नियमित रूप से दुकान नहीं खोलता है और ना ही राशन सामग्री का वितरण करता है। उसका व्यवहार असंतोषजनक बताया गया।

प्रवर्तन निरीक्षक दौसा ने जिला रसद कार्यालय दौसा में दिनांक 18.3.2016 को रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिस पर जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा अपीलांट का प्राधिकार पत्र दिनांक 18.3.2016 को अग्रिम आदेशों तक निलंबित कर दिया गया। जिला रसद अधिकार दौसा द्वारा 17.6.2016 को एक प्रेस नोट जारी किया गया, जिसमें अंकित किया गया कि वे जिला रसद कार्यालय में 07 दिवस में उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत करें अन्यथा उनका प्राधिकार पत्र निरस्त कर दिया जावेगा। उक्त प्रेस नोट दैनिक समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका में दिनांक 17.6.2016 को प्रकाशित करवाया गया। समाचार पत्र में प्रकाशन कराये जाने के उपरांत भी अपीलांट जिला रसद कार्यालय में उपस्थित नहीं हुई। इस प्रकार अपीलांट द्वारा राशन सामग्री उठाव व वितरण का कार्य करने का इच्छुक नहीं लगने पर प्राधिकृत पत्र की शर्त संख्या 2, 5, 6, 8, 9, 14 व 18 का स्पष्ट उल्लंघन किये जाने पर जिला रसद अधिकारी दौसा ने दिनांक 24.6.2016 को अपीलांट का प्राधिकार पत्र जमा संपूर्ण प्रतिभूति राशि जब्त सरकार करते हुए प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है। जिला रसद अधिकारी दौसा का अपीलाधीन आदेश पूर्णतया विधि अनुसार पारित किया गया है। अतः जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.6.2016 को यथावत रखा जाकर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील निरस्त फरमाई जावे।

हमने अधिवक्ता अपीलांट व विभागीय पैरोकार सरकार की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि माननीय विधायक दौसा की जन सुनवाई में अपीलांट की राशन वितरण की शिकायत प्राप्त होने पर प्रवर्तन अधिकारी दौसा द्वारा मय जांच दल के अपीलांट की उचित मूल्य दुकान का निरीक्षण किया जाकर निरीक्षण प्रतिवेदन रसद कार्यालय में प्रस्तुत करने पर जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा अपीलांट का प्राधिकार पत्र दिनांक 18.3.2016 को निलंबित किया जाकर अपीलांट को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। अपीलांट द्वारा कारण बताओ नोटिस का कोई प्रत्युत्तर प्रस्तुत नहीं करने पर दैनिक समाचार पत्र में भी सूचना का प्रकाशन करवाया गया है। समाचार पत्र में सूचना प्रकाशन के उपरांत भी अपीलांट द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर जिला रसद अधिकारी दौसा ने दिनांक 24.6.2016 के द्वारा प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है। जिला रसद अधिकारी दौसा की मूल पत्रावली में अपीलांट द्वारा बीमार होने के कारण 6 माह की अवधि में वितरण कार्य करने में असमर्थता व्यक्त करते का प्रार्थना पत्र जिला रसद अधिकारी दौसा को प्रस्तुत करने का कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। अपीलांट का प्राधिकार पत्र निरस्त किये

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.02.15 12:52:48 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

.....निरंतर 4 पर

अपील सं0 04/2022 रसद

जाने से पूर्व अपीलांट को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है जिस पर प्राप्ति हस्ताक्षर अंकित है। कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने एवं समाचार पत्र में प्रकाशन के उपरांत अपीलांट द्वारा कोई जवाब नहीं दिये जाने के फलस्वरूप जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा अपीलांट का प्राधिकार पत्र दिनांक 24.6.2016 को प्राधिकार पत्र की जमाशुदा संपूर्ण प्रतिभूति राशि जब्त सरकार करते हुए प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है। अपीलांट का प्राधिकार पत्र छोटे मोटे तकनीकी आधारों पर निलंबित नहीं किया गया है अपितु माननीय विधायक दौसा की जनसुनवाई के दौरान उपभोक्ताओं द्वारा राशन डीलर की शिकायत की गई जिस पर प्रवर्तन निरीक्षक दौसा द्वारा राशन की दुकान नियमित रूप से नहीं खोलने एवं समय पर राशन सामगी का वितरण नहीं किये जाने व अपीलांट के शादी हो जाने एवं ससुराल में रहने व राशन की दुकान का संचालन उसके भाई द्वारा किये जाने की अनियमितता पर जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा पूर्ण प्रक्रिया का पालन करते हुए प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है। ऐसी स्थिति में जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में हस्ताक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अपील अपीलांट खारिज योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.6.2016 यथावत रखा जाता है। जिला रसद अधिकारी दौसा का मूल अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद तकमील पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(कमर चौधरी)
जिला कलेक्टर,दौसा

निर्णय आज दिनांक 07 सितंबर, 2022 को लिखंवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(कमर चौधरी)
जिला कलेक्टर,दौसा

न्यायालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दौसा

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.02.15 12:52:48 IST
Reason: SelfAttested